निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1933 (श0)

(सं0 पटना 254) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जून 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी 2011

सं० 22/नि0सि0 (दर०)–16–13/2007/139––श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, रूपांकण अंचल, दरभंगा जो मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के प्रभार में थें को उक्त पदस्थापन अवधि में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अन्तर्गत कार्यो के लिए प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप सही ढ़ंग से कार्यान्वयन नहीं करने, बीना प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य कराने एवं अनुचित इरादे से संवेदक को लाभ पहुँचाने, निविदा में जालसाजी हेराफेरी करने तथा विभागीय निदेशों की अवहेलना करने इत्यादि कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 456, दिनांक 7 मई 2007 द्वारा निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 959, दिनांक 10 अक्तूबर 2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

विभागीय कार्यवाही में श्री प्रसाद के विरूद्व निम्नांकित आरोप गठित किये गयेः–

(1) मुख्य अभियन्ता, दरभंगा के रूप में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप सही ढ़ंग से कार्य का कार्यान्वयन श्री प्रसाद द्वारा नहीं किया गया। अनुचित इरादों तथा संवेदक को लाभ पहुँचाने के उद्वेश्य से ऐसे कार्य कराये गये जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी।

(2) पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल के अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0 2/2006–07 के माध्यम से मिट्टी एवं संरचना कार्य हेतु 290.00 लाख रूपयो की निविदा के निष्पादन के दौरान एक विशेष संवेदक को लाभ पहुँचाने के उद्वेश्य से निविदा की तुलनात्मक विवरणी पर ओभर राईटींग कर हेराफेरी किया गया।

(3) कमला सायफन के क्षतिग्रस्त दो बैरलों के पुर्नस्थापन कार्य को अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के बावजूद वर्ष 2005–06 के कार्यक्रम में शामिल नहीं करना।

(4) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विभिन्न उप मदों में 15 प्रतिशत अधिक वृद्वि के बावजूद मंत्रिमंडल निगरानी तकनीकि कोषांग के प्रावधान की अनदेखी करना।

(5) पश्चिमी कोसी नहर प्रमण्डल, खुटौना अन्तर्गत एन0 आई0 टी0 सं0 2/2006–07 के माध्यम से ऐसे कार्यो की निविदा संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के स्तर से निकलवाई गई, जो आपस में असम्बद्व तथा दूर दराज अवस्थित है। ताकि निविदा निस्तार की शक्ति मुख्य अभियन्ता को प्रदत्त शक्ति सीमा के अन्दर आ जाय।

(6) विभागीय पत्रांक 1578, दिनांक 24 जुलाई 2006 द्वारा श्री प्रसाद को निदेश दिया गया कि कमला सायफन के अवशेष कार्यो के निर्माण हेतु भूगतान संवेदक को अलग से देय नहीं है, फिर भी विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

विभागीय कार्यवाही में जॉच पदाधिकारी (विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना) द्वारा जॉच प्रतिवेदन सौपा गया। जिसमें आरोप सं0 1 अंशतः प्रमाणित पाया गया एवं आरोप सं0 5 पूर्णतः प्रमाणित पाया गया। शेष आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गयाः–

I. ''निन्दन'' वर्ष 2006–07
II. तीन वार्षिक वेतन वृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
III. निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं परन्तु उक्त अवधि पेंशनादि के लिए गणना की जायेगी।

परन्तु दण्डादेश निर्गत करने के पूर्व ही श्री प्रसाद दिनांक 31 दिसम्बर 2008 को सेवानिवृत हो गये। फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0 190, दिनांक 25 मार्च 2009 द्वारा श्री प्रसाद को सेवानिवृति की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्व पूर्व से चल रही विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 43 बी0 में परिवर्तित किया गया एवं पुनः विभागीय पत्रांक 565, दिनांक 25 जून 2009 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में दिये गये विन्दु लगभग वही है, जो पूर्व में विभागीय जॉच आयुक्त को समर्पित स्पष्टीकरण में दिये गये थें । जिसकी समीक्षा पूर्ण में विभागीय जॉच आयुक्त (जॉच पदाधिकारी) एवं विभाग द्वारा की जा चुकी है। अतः पूर्व से प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद को उनके सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की भी सहमति प्राप्त है।

1. पन्द्रह (15) प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष के लिए रोक।
2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

सरकार का उक्त निर्णय श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद,
सरकार के उप–सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 254-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in